

**बिहार लोक सेवा आयोग**

15 जनवरियाल नेबर वर्ग (कैडी) केरल परामर्श प्रदान

विज्ञापन क्र.-05/2020 आर एच नृत्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार खान एम नृत्य सेवा के पुरा कति. ऑनलाइन विचारस परामर्शकारी के लिंक आ (लिंक) परी पर नियुक्ति हेतु सुप्रीम न्यायालय न्यायालय से विभिन्न अपन में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित बिहार बिहार लोक सेवा आयोग, परामर्श के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रवेश है।

(1) इन रिक्त पदों को कॉन्टिन्टार विवरणी निम्नवत है -

क्र. सं.	वर्ग	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	उपरोक्त श्रेणियों के कक्षावर्ग परीक्षकों के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अभियंता वर्ग	01	02
2.	अभियंता वर्ग में कम्पोजिट वर्ग	02	01
3.	अनुसूचित जाति	03	01
4.	अनुसूचित जातियाँ	01	00
5.	अल्पसंख्यक वर्ग	04	01
6.	पिछड़े वर्ग	02	00
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	00	00
	कुल	20	05

(2)

3	कक्षा-1 प्रमाण-विभाग- बिहार के पद-05-2020 विभाग- 01/2020 के आदेश में तब से इसे कक्षावर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तब से इसे वर्गीकृत है जो तब/वर्ग/वर्ग/वर्गों के लिए आदेशित पद की है।	00
---	---	----

(3)

5	विभाजन-1 अभियंता-2014 के आदेश में निम्नलिखित में उक्त वर्गीकरण के लिए 05 (पाँच) अभियंता वर्गीकरण पदों की संख्या	
(a)	पुरा कति (01)	00
(b)	पुरा कति (02)	01
(c)	अल्पसंख्यक वर्ग (03)	00
(d)	कम्पोजिट वर्ग (04)	00

2. वैज्ञानिक- पुनर्गठित-सेक्टर-3  
 3. शैक्षणिक योग्यता: (1) कैडी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान में 2वीं डीग्री (एन.एस्.सी. सुअर विभाग में अपधि/ सन्दर्भ धारण विभाग, एन.एस्.सी./ एन.एस्.सी. में अपधि।  
 (2) Class. M.Sc. in Geology/ Applied Geology/ M.Tech. in Geology / Degree in Mining Engineering

नोट-1-अवधारणा की स्थिति में अंकों की में नर्भित शैक्षणिक योग्यता प्राप्य होगा।

नोट-2-शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि-02.08.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा प्रयोगकर्ता की उत्तरीकरण रद्द कर दी जायेगी।

नोट-3-संस्थान/ विश्वविद्यालय आदि से CGPA/CGP/CPM द्वारा की जा प्रकाश में बदलने का कार्य। अन्यथा संलग्न करके प्रयोगकर्ता के आधार पर प्रमाणित में बदल दिया जायेगा।

4. उम्र सीमा- दिनांक- 01.08.2019 को अल्पतम 21 वर्ष, अधिकतम अनाधिकृत (उम्र)- 30 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, लिम्बो वर्ग की महिला एवं अनुसूचित जाति 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति (एन.एस्.सी. महिला)- 32 वर्ष।

(i) नार्मल एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 218, दिनांक- 28.01.2008 के आदेश में वेरी जायेगी जो दिनांक- 01.08.2019 से 01.08.2019 तक उपर्युक्त वर्गित अधिनियम तब सीमा के अन्तर्गत पर मान्य रखते हैं, की प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बसने से अना आगेवाई पूरी करने हों।

(ii) नार्मल एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2274, दिनांक- 18.07.2007 के आदेश में बिहार सरकार के लेटे चरखारी सेवक जो 31-03-2007 को बिहार सेवा पुरा पर चुके हैं, जो तब तक वेतनमान की सेवा/सर्विस में जाने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

विभाग सरकार के वेतनमान सेवक को तब सीमा में पुरा का दावा करने की स्थिति में तब अधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से अधिकतम वेतन तालिका में अनुसूचित विभाग सरकार में निर्गत जीव तब की सेवा पुरा कर चुके हैं।

(iii) मान्य प्रमाण विभाग, बिहार के वेतन तालिका- 13062, दिनांक- 12.10.2017 के आदेश में अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमान्य है।

विचारणा का दावा करने की स्थिति में लिखित प्रमाण में तब अधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(iv) नार्मल एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2347, दिनांक- 01.02.2000 के आदेश में; सुप्रीम कोर्टों को 08 सीमा में 05 (पाँच) वर्ष तथा प्रत्येक सेवा में बिना नयी सेवा अर्थात् के योग के समतुल्य विषय की जायेगी, बसने से अना प्रस्तावित उक्त आदेश में वेरी की स्थिति में 05 वर्ष से अधिक नहीं हों।

सुप्रीम कोर्टों को तब सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तब अधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. बयान प्रक्रिया- लिखित-परीक्षा एवं साक्षात्कार के अन्तर्गत। साक्षात्कार के लिए वेरी की उत्तरीकरण सुपात्र जायेगी लिखित परीक्षा में तब से तब बिना तब में उक्त दावा किए ही वेरी की नार्मल एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के वेतन तालिका-2347, दिनांक 18.07.2007 में प्रकाशित है- अन्तर्गत-00 (पारसी) प्रमाण, दिनांक 01-08-2019 (वेतन तालिका) प्रमाण अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग- अल्पसंख्यक वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति, महिलाओं तथा पिछड़ा वर्ग के लिए- तब (वेतन); प्रमाण

(क) उक्त उत्तरीकरणों को लिखित प्रमाणित पत्रों में शामिल होगा। पत्रों को बिना, पूर्णतः, अर्थात्, प्रकृति एवं साक्षात्कार निम्न प्रमाण होंगे :

क्र. सं.	विषय	पुरांक	परीक्षा का प्रकार	कक्षा वर्ग	परिष्कार
1.	सामान्य ज्ञान	100	1200 परा	अनुसूचित	संयुक्त (पारसी) प्रमाणित परीक्षा से उत्तरी सामान्य अन्वयन का परमाण्य।
2.	अज्ञान	200	1200 परा	विश्वविद्यालय	<p><b>COURSE DESCRIPTIONS:</b></p> <p>Drilling and Blasting (Met 3310), Met Safety, Introduction to Mining, Mineralogy, Petrology and Stratigraphy, Mine Surveying, Geology for Mining Engineers, Surface Mining, Surface Mine Planning, B. Design, Mine Environmental Engineering, Mine Legislation, Mine Safety, Environmental Aspects of Mining, Open Pit Slope Analysis and Design, Demerol Stone Mining, Mine Economics, Mine Legislation and Safety, Fuel Technology, Mineral Processing, Mineral Economics.</p> <p>तब परमाण्य तालिका की वेतन: <a href="http://www.bpsc.bih.nic.in">http://www.bpsc.bih.nic.in</a> पर की जायेगी है।</p>
3.	पुरा	100	1200 परा	विश्वविद्यालय	<p><b>Syllabus:-</b></p> <p>Systematic Geology, Mineralogy &amp; Crystallography, Mineral Petrology, Stratigraphy, Metamorphic Petrology and Thermodynamics, Destructive &amp; Geotechnical, General and Invariant Paleontology, Stratigraphy, Ore Geology, Fuel Geology, Hydrogeology, Environmental Geology and Mineral Economics, Remote Sensing and GIS in Geology, Engineering Geology and Surveying, Mineral Exploration, Gemology, Elements of Mining and Ore Dressing, Soil Geology, Petroleum Exploration.</p> <p>तब परमाण्य तालिका की वेतन: <a href="http://www.bpsc.bih.nic.in">http://www.bpsc.bih.nic.in</a> पर की जायेगी है।</p>

3. अधिकारिता (या संशोधन अधिनियम, विधानसभा, विधिसभा या लोकसभा)	100	1.38	अनुच्छेद 14	<p>Miscellaneous Provisions Act, 1957</p> <p>(a) Bihar Municipal (Conservation, Preservation of Hags, Fairs, Temples, etc.) Act, 1952</p> <p>(b) Municipal Conservation and Development Act, 1957</p> <p>(c) Bihar Act, 1952</p> <p>(d) Bihar and Orissa Public Deposit Recovery Act, 1954</p> <p>एक परामर्श समिति के संदर्भ में <a href="http://bhaebha.mca.gov.in">http://bhaebha.mca.gov.in</a> पर की जायेगी।</p>
---	-----	------	-------------	--

नोट :- सुधीय समीक्षकों को स्वयं या गृहस्थ विधायक से किसी एक विषय का चयन करना होगा।

(ख) साक्षात्कार : 50 तक।

नोट - साक्षात्कार के लिए विज्ञापनों की दोगुनी संख्या में समीक्षकों का चयन अधिकांश परीक्षा में प्राप्त अंकों से आधार पर किया जायेगा।

5. अधिनियम सूची :- अधिनियमों के प्राजापक एवं साक्षात्कार में प्रत्येक को जोड़कर अधिनियम सूची तैयार की जायेगी।

नोट:- अधिनियम परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अथवा अधिनियम सूची से उन्हें बर्खास्त कर दिया जायेगा।

**7. आस्थापना-**

(i) जैनसंघ आन्दोलन एवं जैन विचार मंचन में आस्थापना का दावा नहीं करने पर आस्थापना का स्थान नहीं मिलेगा।

(ii) जाति से अज्ञान पर आस्थापना का लाभ उन्हें उपभोग करने से मिलेगा, किन्तु राष्ट्रीय विचार मंचन में ही स्थिति जो किशर के पुराणों की विषय अन्य के राष्ट्र के निवासी अभ्यर्थी को आस्थापना का लाभ देना नहीं होगा। आन्दोलन में दिया गया स्थायी पत्रा की आस्थापना प्रयोजन के लिए स्थायी विचार अनुसंधान होगा।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आस्थापना अनिवार्य होगा -

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी विचार/सूचक विचार (अभिव्यक्ति) प्रमाण पत्र

(iv) निम्नलिखित एक अन्य विचारणीय जाति के अभ्यर्थियों को आस्थापना प्राप्त होगी परन्तु अज्ञान अनिवार्य होगा।

Miscellaneous Provisions Act, 1957 में अपने स्वामी अधिकार स्वयं के राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित अधिनियमों द्वारा जैन अभिव्यक्ति अधिनियम-1957 का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जाति में अपने स्वामी अधिकार स्वयं के राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित अधिनियमों द्वारा निर्दिष्ट स्थायी विचार प्रमाण-पत्र/पूरा विचार (अभिव्यक्ति) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र सत्य होगा। आस्थापना का दावा करने वाली विभाजित अधिनियमों का जन्म/जीवितकाल रजिस्टर प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्दिष्ट होगा। जाति/जाति के नाम से जाति के नाम से। अनुसूचित आस्थापना संबंधी सभी प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र से स्थापना के समय पूरा रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आस्थापना का दावा देना नहीं होगा।

(v) आस्थापना कोष के अभ्यर्थियों अपनी जाति के अनुसूचित एवं जैन से संबंधित होने के प्रमाणों की आवश्यकता कोटि नग अज्ञान अनिवार्य आदेश के संशोधन कोष में करने एवं अनिवार्य आदेश भरोषा प्राप्त करने पर आस्थापना कोष के अनुसूचित समस्त अभ्यर्थियों से निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आस्थापना का दावा मान्य नहीं होगा।

आस्थापना कोष विवरण है :-

क्र.सं.	आस्थापना कोष	अनिवार्य आदेशों में आस्थापना कोष
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	50
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	50
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	100
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	50
5.	अधिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Section)	50/50

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-10022 दिनांक-12.10.2012 के आदेश में दिखाने को केंद्रिका-1(घ) में वर्णित विधि के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र देना होगा। ऐसे आस्थापना का दावा करने की स्थिति में 100% अधिकार द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण में निर्दिष्ट दिखाना प्रमाण-पत्र ही प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी दिखाना के आधार पर आस्थापना का दावा देना नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-15022010 के आदेश में दिखाने को केंद्रिका-1(घ) में वर्णित विधि के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र देना होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-15022 दिनांक-20.02.2012 के आदेश में अधिनियम रूप से प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (घ) में वर्णित विधि के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र देना होगा।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-18124 दिनांक-20.11.2012 के आदेश में अधिनियम/अभिव्यक्ति/नामापन को जारी प्रक्रिया के भीतर आस्थापना कोष में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

नोट-(1) अधिनियम आदेशों के रूप में अभ्यर्थियों से अधिनियम सूचना लिखित साक्षात्कार के माध्यम से देनी होगी है। अज्ञान प्रमाण-पत्र के माध्यम से अधिनियम सूचना का दावा निश्चय में अधिनियम सूची है, तो प्रमाण-पत्र देना जो आवश्यक और न ही प्रमाण-पत्र देना होगा। अधिनियम में अधिनियम सूचना/अभिव्यक्ति/अभिव्यक्ति/अभिव्यक्ति प्रकार का दावा ही अधिनियम रूप से मान्य होगा।

नोट-(2) साक्षात्कार में अधिनियम होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र सूच में (Original copy) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा -

1. राष्ट्रीय आस्थापना-पत्र/अज्ञान प्रमाण-पत्र (अज्ञान विधि के माध्यम से लिखें)।
2. अधिनियम की केंद्रिका-3 अधिनियम संशोधन के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं अज्ञान पत्र।
3. अधिनियम की केंद्रिका-4 के अनुसार 100 तक जाति प्रमाण-पत्र देना करने की स्थिति में सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र।

4. अधिनियम सूची/अभिव्यक्ति विवरण एवं जैन समीक्षकों के लिए अधिनियम रजिस्टर प्रमाण-पत्र (अज्ञान समीक्षकों के लिए विचार प्रमाण-पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।

5. अधिनियम सूची/अभिव्यक्ति विवरण एवं जैन समीक्षकों के लिए अधिनियम रजिस्टर प्रमाण-पत्र (अज्ञान समीक्षकों के लिए विचार प्रमाण-पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र (अज्ञान समीक्षकों के लिए विचार प्रमाण-पत्र) एवं पिता से निर्दिष्ट जाति प्रमाण-पत्र। (जाति प्रमाण-पत्र की स्थिति में)।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थायी विचार प्रमाण-पत्र (अज्ञान समीक्षकों के लिए विचार प्रमाण-पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।

8. अधिनियम रूप से अनिवार्य एवं (BMS) का दावा करने वाले अभ्यर्थियों, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-26222 दिनांक-20.02.2012 के आदेश में आस्थापना प्रमाण-पत्र।

9. अधिनियम सूची से अधिनियम प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।

10. राज्य सरकार, जैन सरकारों संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, जो आस्थापना में भाग लेने हेतु निर्दिष्ट अज्ञान/अज्ञान अधिनियम का अनिवार्य प्रमाण-पत्र (No-Objection Certificate)।

11. अधिनियम/अभिव्यक्ति/अभिव्यक्ति का प्रतिफल में बदलने का प्रमाण-पत्र।

12. अधिनियम सूची (फोटोकॉपी)।

अनुसूचित प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय सूच में प्रस्तुत करने पर अनिवार्य समीक्षकों प्रमाण-पत्र/अज्ञान प्रमाण-पत्र का दावा मान्य का निर्णय जाति एवं अज्ञान प्रमाण-पत्र।

**8. शुल्क :-**

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 150/- (साल से ज्यादा) रुपये
- (ii) जैन विचार मंचन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी (घ) अधिनियम/अभिव्यक्ति अधिनियम समीक्षकों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) अधिनियम अभ्यर्थियों (BMS) का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (v) अन्य सभी समीक्षकों के लिए- 200/- (साल से ज्यादा) रुपये

अभ्यर्थियों को अधिनियम परीक्षा शुल्क के अधिनियम अधिनियम नगरे हुए निर्दिष्ट जाति की देना होगा जिसे अनिवार्य प्रमाण-पत्र से अज्ञान प्रमाण-पत्र एवं अज्ञान प्रमाण-पत्र के रूप में ले लिया जायेगा।

वैसे सभी अभ्यर्थियों के दिनांक अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति से आने वाले अभ्यर्थियों को

दिया/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के तहत एक चक्रा करती है और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप सभी शुल्क जमा किया जाता है और अधिक में वे भी अन्यथा द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अर्थों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या इसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है जो उन्हें दिव्यांगता गरीबता शुल्क (Compensation Exemption/Abatement Fee) के आधार पर अर्जाएँ किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यार्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यार्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वयं ही गरीबता शुल्क सामान्य अभ्यार्थियों के अनुरूप जमा कराते हैं जो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यार्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यार्थी स्वयं निर्भर हो सकते हैं।

**8. ऑनलाइन आवेदन बन करने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-**

1.	ऑनलाइन निर्देशों की तिथि	04.08.2020 से 10.08.2020 तक
2.	ऑनलाइन में प्रथम ले मुद्रागत करने की अंतिम तिथि	26.08.2020 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	02.09.2020 तक
4.	आवेदन प्रस्ताव में स्थित गैर/निर्दिष्ट डाक से आवेदन की डाक कोपी एवं सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	10.08.2020 के अनाहन 05.00 बजे तक

**नोट-1:** किस तिथि को स्वीकृत किया गया है उसकी अपनी तिथि के पश्चात प्रमाण पत्रों के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन मुद्रागत करने के लिए आवेदक को लिख प्रत्यक्ष होना।

**नोट-2:** बिना तिथि को मुद्रागत किया गया है उसकी अपनी तिथि की पूर्वाह्न 05.00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाइन Application Form करने के लिए लिख प्रत्यक्ष होगा।  
अभ्यार्थी दिनांक- 29.08.2020 तक विद्यमान रूप से मुद्रागत करे।

(क) ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक (विवृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने के तुरंत क्या दिए निर्देशों का ध्यान गौर अवधान कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में सभी सुचनाएँ साई-साई एवं सुरक्षित अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक (विवृत) निर्देश का व्याख्या अनुसूचित नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में अभ्यार्थी द्वारा की गयी प्रतिक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में नहीं गयी सुचनाओं को पूरा प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सम्बन्धीत प्रश्न का ही जवाबी।

(ख) प्रत्येकवर इस चक्र पर अंतिम नाम, जन्म तिथि, मोटो, पता, शुल्क इत्यादि से अनुरूप होने से प्रचारक से नाम में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(ग) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की निर्माता होगी। इसी से अंतिम परीक्षाफल प्राप्त करने तक सुरक्षित करेंगे।

(घ) पाठ सिलेबज्म का परीक्षा शुल्क का मुद्रागत करने से यह नहीं माना जाएगा: की अभ्यार्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर लिया गया है।

(ङ) इंटरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यार्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(च) सम्बन्धीत डाक का बिना कुम अना एक फोटोप्राक तथा किसी एक अभ्यार्थी में उत्तरावर स्थित बन ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान में लगाते करेंगे। सम्बन्धीत सांगुण हो लेने कि व्यक्तोंक किया गया फोटोप्राक तथा किसी एक अभ्यार्थी उत्तरावर का इमेज सुरक्षित है।

(छ) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्प्लिष्ट होने वाले इच्छुक अभ्यार्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय की फोटोप्राक उनके द्वारा आवेदन बन पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम बीच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि

आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मागे जाने पर जो वजन हो प्राप्त किया जा सके।

(1A) ऑनलाइन मुद्रागत में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान/गलत मुद्रागत/असफल मुद्रागत (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यार्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त प्रमाण नहीं दिया जाएगा।

(2) आवेदन 02 की सुनिश्चित बन लें कि ऑनलाइन किये गये आवेदन की डाक कोपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। डाक कोपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से गलत नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।

(3) इसके अतिरिक्त विज्ञापन में संबंधित सर्जिज सभी प्रमाण पत्र अंकित रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन की डाक कोपी से ऑनलाइन कर डाक कोपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। अभ्यार्थी द्वारा किसी भी प्रमाण पत्रों जाने पर सम्बन्धीत डाक कोपी डाक कोपी एवं सभी संबंधित पूरा प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यार्थियों को अना के संकेत में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

(4) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अंकित प्रमाण-पत्र पूरा रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने समय उपलब्ध हैं।

**10. आवश्यक निर्देश :-**

(1) अंतिम संकेत में भरे गए ऑनलाइन आवेदन की डाककोपी को व्यक्तियोंक कर डाक कोपी में निर्धारित स्थान पर नीचे स्वामी से किसी एक अभ्यार्थी में उत्तरावर करके हुए चक्र डाक कोपी के साथ निम्नलिखित सभी प्रमाण-पत्र/उत्तरावका की प्रति संकेत निम्नलिखित साफ/स्वीक पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि यह दिनांक-10.08.2020 के अग्रार्द्धन 05.00 बजे तक संयुक्त अधिव-राज-बिन्दु, विहार सांक सेवा आयोग, 15, जवाहरनगर गैरक चर्च (बैंगी रोड), पटना- 800008 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त डाक कोपी को चक्र निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रायित प्रतियाँ अनुसूचित के रूप में हमेशा अवश्य संरक्षण करेंगे:-

- (a) गैरक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के लिए);
- (b) विज्ञापन की कृषिक-3 तैकनिक कोम्पका के अनुरूप प्रमाण-पत्र;
- (c) विज्ञापन की कृषिक-3 तैकनिक कोम्पका के अनुरूप अंक-पत्र;
- (d) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्बन्धीत के लिए प्राप्ति प्रमाण-पत्र।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को दिए गयी निम्न प्रमाण-पत्र।

(1) अत्यंत दिव्य या/विभागी एवं के सम्बन्धीत के लिए सम्बन्धीत संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रायित प्रति।

डाककोपी को चक्र करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/डीपीलेकर संबंध प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्णय होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

(2) विद्यालय का दावा करने की स्थिति में संकेत प्रतिक्रिया प्राप्त निर्णय सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रायित प्रति।

(3) आर्य में बुरा का दावा करने की स्थिति में अभ्यार्थी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र द्वारा निर्णय प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।

(4) आर्थिक रूप से उदात्त एवं (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, विहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2822, दिनांक 28.02.2018 के प्रांतिक में संकेत प्रतिक्रिया प्राप्त निर्णय प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) CGPA/CGPE/CPA सुवादी या प्रतियोगिता में प्रथम से का फार्मूला। आवेदक एकुला सभी अधिक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रायित प्रति आवेदन की डाक कोपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका सञ्चालन नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंतिम प्रत्येक प्रमाण-पत्रों को एक ही अभ्यार्थी प्रमाण-पत्र निर्णय की तिथि पर लक्ष्य अंकित करेंगे।

(6) यदि किसी भी अभ्यार्थी का साक्ष्यसोड डाक कोपी एवं सभी प्रमाण-पत्र/उत्तरावर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, जो उक्त अभ्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं

निर्देश किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

- 11. कोम्पेज सब्जी प्रमाण-पत्र यही मान्य होंगे, बिनाकोम्पेज प्रमाणीकरण के अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- 12. इस विज्ञापन के लिए विश्व सिफारिश से आवेदन एवं सेवा रही हैं, वेबसाईट से काउन्सिलर डाटा नहीं है के साथ संलग्न पता पर्वी (Address Slip) एवं प्रेषण पर्वी (Sender's Slip) को लिफाफे पर विगलकर्वेने।
- 13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आवेदन के वेबसाईट [www.biharboard.net](http://www.biharboard.net) पर प्रकाशित की जाएगी, साधारण भर्तों में अन्य से प्रकाशन सम्बन्धित नहीं होगा।
- 14. उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन सभी हेतु विस्तृत निर्देश आवेदन के वेबसाईट [www.biharboard.net](http://www.biharboard.net) पर उपलब्ध हैं। इस विज्ञापन के लिए निर्दिष्ट ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टिप्पणी, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अतसम्बन्धित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।



संयुक्त सचिव-सक-परीक्षा नियन्त्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, भटना।